बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 16/10–11

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम जिला भू–अर्जन कार्यालय ,गया का विशेष अंकेक्षण।

(ख) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

(ग) नियंत्री पदा0 का नाम ,पदनाम एवं अवधि –
1. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव भा0 प्र0 से0
   जिला पदा0 सह समाहर्त्ता,गया,
   दि0 1.4.07 से 17.3.08 तक
2. श्री संजय कुमार सिंह भा0 प्र0 से0
   जिला पदा0 सह समाहर्त्ता ,गया
   दिनांक 18.3.08 से अद्य्यतन ।

(घ) लेखा प्रभारी पदा0 का नाम , पदनाम एवं अवधि –
1. श्री नवनीत रंजन तिवारी
   जिला भू0 अर्जन पदा0 ,
   दि0 1.4.07 से 2.2.08 तक
2. श्री परशुराम राम
   जिला भू0 अर्जन पदा0
   दिनांक 3.2.08 से 16.12.08 तक ।
3. श्री कौशलेन्द्र पाठक
   जिला भू0 अर्जन पदा0
   दि0 17.12.08 से 28.2.09 तक।
4. श्री सुनील कुमार ,
   जिला भू0 अर्जन पदा0

		दि0 1.3.09 से 22.3.09 तक ।
		5. श्री अशोक कुमार सिंह जिला भू0 अर्जन पदा0 दि0 23.3.09 से 31.3.09 तक ।
प्रधान सहायक / लेखापाल	–	1. श्री शशी कुमार सिन्हा , दिनांक 6.9.05 से 31.3.09 तक।
रोकड़ पाल /भंडार पाल	–	1. श्री शिव रतन सिंह, दि0 5.9.05 से 31.3.09 तक।
(ड.) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले का नाम एवं पदनाम	–	1. श्री पवन कुमार तिवारी , प्रधान लिपिक सह लेखापाल 2. श्री मो0 शाहिद नजम, रोकड़पाल सह भंडारपाल
(च) अंकेक्षित अवधि	–	वर्ष 2007–08 से 2008–09 तक।
(छ) अंकेक्षकों के नाम एवं पदनाम	–	1. श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, व0 अं0 2. श्री राजेन्द्र प्रसाद ,व0 अं0 3. श्री नागेन्द्र राम , व0 अं0
(ज) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि	–	20.03.2010
(झ) अंकेक्षण समापन तिथि	–	11.05.2010

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कुल कार्य दिवस – 34$\frac{1}{1}$ दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत / अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचि	–	प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

जिला भू–अर्जन कार्यालय गया का विशेष अंकेक्षण विभागीय ज्ञाप सं0 ए0 पी0 (i) 29161 – 2297 एफ0 ए0 दिनांक 04–07 1961 कंडिका 14 'घ' एवं जिला समाहर्त्ता गया के पत्रांक 51 / भू0 –अ0 दि0 14.10.09 की अभियाचना, जिसमें उल्लिखित

(i) बैंक विवरणी से रोकड़ वही में भिन्नता

(ii) बैंक पंजी से बैंक विवरणी में भिन्नता के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 07–08 से 08–09 का सम्पन्न किया गया।

कार्यालय द्वार निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार अभिलेखों के आधार पर शत–प्रतिशत किया गया एवं (मनी रसीद सं0 339794 / दि0 10.10.08 के द्वारा प्राप्त रू0 14=00 को छोड़कर) सही पाया गया। महालेखाकार बिहार–पटना के निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 430 / 08–09 अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया पत्रांक 23 / 07.07.09 के द्वारा अनुपालन महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है। भेजा गया अनुपालन अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहा। अतः प्रतिवेदन के समीक्षा करने का प्रश्न नही उठा।

(ड़) वित्तीय समीक्षा :–

जिला भू–अर्जन कार्यलय नजारत गया के वित्तयी वर्ष 07–08 से 08–09 के लिए प्राप्त आवंटन,व्यय,बचत एवं प्रत्यार्पण की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''आ'' द्रष्टव्य है। विवरणी के अवलोकन से प्राप्त आंवटन,व्यय,बचत एवं प्रत्यार्पण की स्थिति परिलक्षित होती है।

आवंटन एवं व्यय विवरणी को देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बचत के रूप में एक बड़ी रकम का प्रत्यार्पण किया गया था। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बजट उपबंध हेतु काफी बड़ी राशि को आवंटन के रूप में माँग की जाती रही थी। अतः विभागीय उच्चाधिकारी एवं प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। ताकि भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति पर रोक लगाई जाय।

योजना से सम्बन्धित आय एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''इ'' द्रष्टव्य है। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि वर्ष 07–08 में योजना मद् में अंत शेष के रूप में कुल रू0 17,94,12,508.16 पैसा एवं वर्ष 08–09 में कुल रू0 22,76,33,687.42 पड़ी हुई थी, जो कि मुआवजा से संबंधित राशि थी।

रोकड़ वही का संधारण विहित प्रपत्र में नही पाया गया, यथा अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि तक अग्रिम से सम्बन्धित सामान्य रोकड़ पंजी, असमायोजित अभिश्रव से संबंधित रोकड़ पंजी एवं सूद प्राप्ति से संबंधित रोकड़ पंजी का संधारण नही पाया गया। रोकड़ पंजी के संधारण

में कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86 (i) से (ii) का पालन कभी भी यानि अंकेक्षण के अवधि के पूर्व, अंकेक्षित अवधि एवं अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि तक एक बार भी नही किया गया था। फलस्वरूप बैंक समाशोधन एवं बैक विवरणी के अनुसार रोकड़ का भौतिक सत्यापन किसी भी तिथि को नही किया गया था। नाजीर अथवा पदाधिकारियों के प्रभार के समय उपर्युक्त नियम का उल्लंधन करते हुए प्रभार तिथि के सामान्य रोकड़ पंजी के शेष के विस्तृत विवरणी में अंकित बैक जमा राशि,असमायोजित अभिश्रव की राशि एवं अग्रिम की राशि को बैक पंजी, अभिश्रव पंजी एवं अग्रिम पंजी के आधार पर सही मान लिया ,अर्थात् बैक विवरणी एवं बैक पास बुक को आद्यतन जमा राशि से इसका सत्यापन किए बिना ही प्रभार का लेन–देन होता रहा था। जिसके कारण हमेशा प्रभार के समय काफी बड़ी मात्रा में राशि बैंक में अधिक दर्शाया गया था। उदाहरणस्वरूप दिनांक 02.02.08 का प्रभार के समय संवरण शेष से रू0 26,13,818.31 पैसा,दिनांक 16.12.08 को रू0 10,59,859.44 पैसा एवं दिनांक 28.02. 09 को रू0 2,10,647.44 पैसा बैक खाता में संवरण शेष से अधिक दर्शाया गया था। जब कि अंकेक्षण के अनुसार अंकेक्षित अवधि के प्रारम्भण तिथि दि0 01.04.07 को संवरण शेष के मुकाबले बैंक खाते में बैक विवरणी असमायोजित अभिश्रव एवं अग्रिम के रूप में कुल रू0 40,35,959=81 अधिक पाया गया। जब कि अंकेक्षण द्वारा बैंक समाशोधन के पश्चात् अंकेक्षित अवधि के अंतशेष के रूप में दि0 31.03.09 को वास्तविक संवरण शेष के मुकाबले कुल रू0 21,677=12 कम पाया गया। इस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त कम पाई गई राशि के सुधार के लिए अंकेक्षित अवधि के पूर्व से बैंक समाशोधन किया जाय। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसके लिए प्रभार के लेन–देन के समय एवं प्रत्येक माह एवं वित्तीय वर्ष के समापन के तिथि के सामान्य रोकड़ पंजी के शेष के विस्तृत विवरण का भौतिक सत्यापन मात्र बैंक पंजी के आधार पर नही किया जाय बल्कि बैंक खाता का आद्यतन जमा निकासी विवरणी से बैंक समाशोधन के पश्चात् ही रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन किया जाय। एवं इस आशय का एक प्रमाणपत्र पदाधिकारी द्वारा रोकड़ पंजी पर अंकित किया जाय।

अंकेक्षण के क्रम में गबन वसूली योग्य सरकारी राजस्व की क्षति एवं आपत्तिन्तर्गत भुगतान अनेकों मामले दृष्टिगोचर हुए है जिनका विस्तृत उल्लेख आगे की कंडिकाओं में

किया गया है। रोकड़ पंजी में संवरण एवं प्रारम्भण शेष वित्तीय वर्ष के अंत में निम्न प्रकार पाए गए।

31.03.07	–	सं0 शेष	} – 3,41,58,781.92
01.04.07	–	प्रा0 शेष	
31.03.08	–	सं0 शेष	} – 17,94,51,659.20
01.04.08	–	प्रा0 शेष	
31.03.09	–	सं0 शेष	– 22,76,43,141.43

वित्तीय वर्ष के अंत में संवरण शेष के रूप में इतनी बड़ी राशि का पड़ा रहना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का धोत्तक तो है ही ,लोकहित के भी विरूद्ध है। अतः इस बिन्दु की ओर प्रशासी विभाग एवे नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ढ़) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय आदेश सं0 503/29.01.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 20.3.2010 को रोकड़ का भौतिक सत्यापन कराने हेतु प्रभारी पदाधिकारी से मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बावजूद रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही कराया गया। इस बिन्दु की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ण) स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ई'' पर दिए गए विवरणी से स्पष्ट होता है कि कुल स्वीकृत बल 22 के विरूद्ध 14 कार्यरत पाये गए। कुल 8 पद रिक्त पाये गए। इस रिक्ति को भरने हेतु नियंत्री एवं प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

<u>भाग–1</u>

कंडिका–(2) बैंक खाता के संवरण शेष एवं असमायोजित अभिश्रव के रूप में <u>रू0–25124=14 की कमी वसूलनीय :–</u>

<u>(क) रोकड़ पंजी के संवरण शेष से बैंक खाता के संवरण शेष में रू0 21,677=12 का अंतर (यानि कम पाया जाना)</u>

रोकड़ पंजी एवं बैंक विवरणी के सत्यापन क्रम में पाया गया कि रोकड़ पंजी एवं बैंक खाता के संवरण शेष में तालमेल का अभाव पाया गया । यथा दिनांक 1–4–07 को रोकड़ पंजी का संवरण शेष रू0 3,41,58,781=92 पाया गया जबकि बैंक खाता, अस्थायी अग्रिम एवं असमायोजित अभिश्रव के रूप में रू0 3,81,94,741=73 पाया गया। इस तरह बैंक खाता में रोकड़ पंजी से कुल रू0 40,35,959=81 अधिक पाया गया।

विस्तृत जाँच से ज्ञात हुआ कि कुछ चेक जो निर्गत किये गये थे उनमें से कुछ का नकदीकरण नहीं किया सका था, फिर कुछ चेक जो जमा किये गये थे उस चेक को बैंक द्वारा क्रेडिट तो किया गया था, परन्तु रोकड़ पंजी के प्राप्ति भाग में दर्ज नहीं पाया गया। फिर ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को रोकड़ पंजी के प्राप्ति भाग में प्रविष्ट नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि दिनांक1–4–07 से दिनांक 31–3–09 एवं अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 20–3–10 तक कभी भी बैंक विवरणी से समाशोधन किया हुआ नहीं पाया गया। दिनांक 1–4–2007 से 31–3–2009 तक बैंक विवरणी से समाशोधन करने के पश्चात दिनांक 31–3–2009 की स्थिति निम्नवत् पायी गयी जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'उ' 'ऊँ', ऋ, ए एवं ऐ पर द्रष्टव्य है।

इस प्रकार परिशिष्ट 'ऊँ, में दिखाये गये विभिन्न बैंकों में रद्द एवं व्ययगत (लैप्स) चेक की राशि क्रमांक 1 से 5 तक कुल रू0 11,92,304=37 पैसा जो बैंक से भुनाया नहीं जा सका था एवं क्रमांक 06 में दर्शाए गए सूद की राशि रू0 1,96,574=00 पैसा यानि कुल रू0 13,88,878=37 को पुनः रोकड़ पंजी के आय पक्ष में दिनांक 31–3–2009 को परिशिष्ट 'ऐ' में दर्शाए गए विवरणी के अनुरूप लिये जायें।

पुनः परिशिष्ट 'ऋ' में दर्शाए गए विभिन्न बैंको द्वारा बैंक कमीशन एव सेवा शुल्क के रूप में कटौती की गई राशि क्रमांक (i) के अंतर्गत कुल रू0 2669=18 एवं परिशिष्ट 'ए' में दिखाये गये निर्गत चेक की वास्तविक राशि से कम राशि रोकड़ पुस्त में व्यय दिखाये जाने

के फलस्वरूप क्रमांक (ii) के अंतर्गत कुल रू0 200.95 , क्रमांक (iii) निर्गत चेक की राशि जिसे बैंक से भुनाया गया है,परन्तु रोकड़ पंजी में व्यय अंकित नही किए जाने के फलस्वरूप कुल रू0 8,97,020=46 पैसा एवं क्रमांक (iv) विभिन्न चेको से बैक द्वारा भुगतान दिखाई गई राशि जो रोकड़ पंजी में व्यय अंकित नही किया गया था कुल रू0 19,200=00 यानि कुल रू0 2669=18 (+) 200.95 (+) 8,97,020=46 एवं (+) 19,200=00 = कुल रू0 9,19,090=59 पैसे परिशिष्ट 'ऐ' दर्शाए गए विवरणी के अनुरूप रोकड़ पंजी के व्यय पक्ष में अंकित किए जाये। इस प्रकार रोकड़ पंजी के आय पक्ष में रू0 13,88,878=37 एवं व्यय पक्ष रू0 9,19,090=59 अंकित करने के पश्चात् दि0 31.03.2009 को रोकड़ पंजी के वास्तविक संवरण शेष के रूप में कुल रू0 22,81,12,927=27 पैसे हो जायेगे। तत्पश्चात् दि0 31.03.09 बैंको में कुल जमा राशि 22,78,06,704.21 (+) अस्थायी अग्रिम की राशि 1364=00 (+) असमायोजित अभिश्रव की राशि रूपये 2,83,067=37 एवं स्थायी स्थापना नकद की राशि 116=57 यानि कुल रू0 22,80,91,252=15 पैसा रोकड़ पंजी के संवरण शेष से घटाया जाय तो कुल रू0 21,677=12 का अन्तर आता है जो कि रोकड़ पंजी के संवरण शेष से कम होता है।

अतः प्रशासी विभाग एवं नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त अन्तर राशि 21677=12 पैसे को दिनांक 313.09 के संवरण शेष की कमी रू0 21,677.12 को उत्तरदायी व्यक्ति से बैक खाता में जमा करा कर दूर किया जा सकता है।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान शीध्र राशि जमा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार पटना को अवगत कराने हेतु आकृष्ट किया जाता हैं ।

<u>(ख) कुल रू0 3447.02 असमायोजित अभिश्रव के रूप में कम पाया जाना वसूली योग्य :–</u>

अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि दि0 20.03.2010 अथवा प्रभार के लेन–देन दि0 04.04.10 को असमायोजित अभिश्रव के जाँच क्रम में पाया गया कि उक्त तिथि को असमायोजित अभिश्रव के रूप में कुल रू0 2,65,513=12 रोकड़ पुस्त में अंकित था, जबकि सत्यापन करने पर वास्तविक अभिश्रव कुल रू0 2,53,518=69 को ही पाया गया। यानि कुल रू0 11,994=43 कम पाया गया। उक्त कम पाये गये अभिश्रव में से कुल रू0 8547=41 पूर्व नाजीर द्वारा प्रभार के समय दि0 14.10.09 को ही स्टेट बैंक मुख्य शाखा गया में जमा किया हुआ पाया गया जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है। शेष 3447=02 अभिश्रव के रूप में

अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कम पाया गया। पुनः अंकेक्षण का सुझाव है कि कम पाये गए कुल असमायोजित अभिश्रव की राशि कुल रू0 3447=02 सम्बन्धित एवं उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा करवा दिया जाय एवं रू0 8547.41 नाजीर द्वारा बैंक में जमा राशि को निकालकर कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष के अंतर्गत जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय ।

अतः प्रशासी विभाग एवं नियंत्री पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आगे कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(i) से (iii) का पालन दृढ़ता से किया जाय एवं असमायोजित अभिश्रव की वास्तविक गणना के अनुरूप रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन कराया जाय एवं अंकेक्षण सुझाव के अनुरूप कारवाई कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

कंडिका – (03) कुल रू0 674=00 इंधन क्रय की प्रविष्टि लॉग बुक में नही वसूली योग्य :–

आकस्मिक अभिश्रव एवं गाड़ी सं0 टी. आर0 322 के लॉग बुक के जाँच क्रम में पाया गया कि कुल 20 लीटर डीजल का क्रय कुल रू0 674.00 में किया गया था, जिसका सत्यापन लॉग बुक से करने पर लॉग बुक में अंकित नही पाया गया अथवा वास्तविक मात्रा से कम मात्रा में अंकित पाया गया। लॉग बुक में दर्ज डीजल की मात्रा का किलोमीटर के गणना करने पर औसतन तेल का खपत सही पाया गया।

अतः स्पष्ट है कि लॉग बुक में अंकित नही किए गए तेल का खपत सरकारी हित में गाड़ी में नही किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत पाया गया।

विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0 तिथि	फर्म का नाम	मात्रा	राशि	अभ्युक्ति
07/07–08 10.07.07	4012 15.04.06	आई बी0 पी0 ऑटो सर्विस गया	10 ली0	337.00	लॉग बुक में अंकित नही
07/07–08 10.07.07	4016 12.04.06	मगध ऑटों मोबाइल	20 ली0	674.00 (–)337.00 674.00	लॉग बुक में मात्रा 10 ली0

					प्रविष्टि पाई गई।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि सम्बन्धित एवं जबाबदेह व्यक्ति से कुल रू0 674=00 वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

<u>कंड़िका –(04) कुल रू0 30=00 रोकड़ पुस्त के वास्तविक संवरण शेष से कम संवरण शेष दिखाये जाने कारण वसूली योग्य :–</u>

सहायक रोकड़ पंजी (योजना) के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम मे पाया गया कि रू0 30.00 का दि0 23.11.07 को वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दिखाकर संवरण शेष को कम कर दिया गया। विस्तृत विवरण निम्नवत है।

रोकड़	पंजी के अनुसार	वास्तविक स्थिति
प्रा0 शेष – आय	3,42,43,769.85 शून्य	3,42,43,769=85 शून्य
कुल योग– कुल व्यय –	3,42,43,769.85 36,70,143.28	3,42,43,769.85 36,70,113.28
संवरण शेष –	3,05,73,626.57	3,05,73,656.57

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 30=00 का वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दिखाकर वास्तविक संवरण शेष से रू0 30=00 को कम कर दिया गया,जिसे जबाबदेह व्यक्ति से वसूलकर उचित शीर्ष के अंतर्गत कोषागार में चालान द्वारा जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को दिया जाय।

<u>कंड़िका (05) योजना मद् की राशि को बैंक के चालू खाते में रखने से सूद के रूप में सरकारी राजस्व की क्षति :–</u>

बिहार भू–अर्जन एवं पुर्नवास नियम 2007 के ज्ञापांक 15/डी0 एल0 ए0 07/06–847/रा0 दि0 13/05/08 के अनुसार योजना मद् में प्राप्त राशि को बैक के

बचत खाते में रखने का निर्देश है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि प्रारम्भ से ही योजना मद् में प्राप्त राशि को मात्र दो बैक खाताओं को छोड़कर शेष बैंक के खाताओं को विभिन्न चालू खाते में रखा जा रहा है जिसके कारण बचत खाते में राशि पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से प्राप्त होने वाली राशि की क्षति हो रही है।

इस सम्बन्ध में प्रभारी पदाधिकारी से मौखिक वार्त्ता के क्रम में पृष्छा की गई थी,जिसके उत्तर में बताया गया कि सक्षम पदाधिकारी से पत्राचार कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान सूद के रूप में हुई सरकारी राजस्व की क्षति की ओर आकृष्ट किया जाता है साथ ही अविलम्व चालू खाता बन्द कर राशि को बचत खाता में जमा कर सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को ही जाय।

कंड़िका (06) कुल रू0 14=00 की वसूली कर कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

नाजीर रसीद एवं सहायक रोकड़ वही के सत्यापन क्रम में पाया गया कि कतिपय नाजीर रसीद से प्राप्त राशि को रोकड़ पंजी के आय पक्ष में नही लिया गया था और न तो कोषागार में चालान द्वारा जमा ही किया गया था। विवरण निम्नवत है।

नाजीर रसीद संख्या	जिससे प्राप्त किया गया	राशि
339794 10.10.08	श्री संतोष कुमार, मालाकार	14=00

अतः उक्त राशि 14=00 संबंधित जबावदेह व्यक्ति से वूसल कर रोकड़ पंजी के आय पक्ष में लिया जाय एवं चालान द्वारा संबंधित शीर्ष में जमा पश्चात् रोकड़ पंजी के व्यय पक्ष में प्रविष्ट किया जाय एवं अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

कंड़िका (07) कुल रू0 9771=00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

वित्तीय वर्ष 07–08 एवं 08–09 के आकस्मिकता व्यय के जाँच क्रम में पाया गया कि कुल रू0 9771=00 का व्यय टेबुल,शीशम का लकड़ी ,सनमाइका, प्लाई बोर्ड इत्यादि का क्रय विभिन्न तिथियों को किया गया था, लेकिन उक्त क्रय से सम्बन्धित न तो कोई अभियाचना किया गया था,न तो सक्षम पदाधिकारी का कोई आदेश था, न ही उचित फर्म से कोटेशन प्राप्त की गई थी और न ही भंडार प्रविष्टि पाई गई। क्रय किए सामानो की विवरणी निम्नवत थी।

क्रम सं0	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0 / तिथि (क्रय)	फर्म का नाम	समग्री का नाम	राशि	अभ्युक्ति
1	07–07 08 10.7.07	4007 10.03.06	भारतीय काष्ठ कला केन्द्र गया	लकड़ी का टेबुल 1 पीस	4800.00	—
2	36 / 08–09	3959 26.11.05	अस्पष्ट	शीशम का लकड़ी	1585.00	—
3	36 / 08–09	3960 29.11.05	हिन्दूस्तान प्लाई एण्ड ग्लास सेन्टर गया	सनमाइका प्लाईबोर्ड आदि	2816.00	—
4	36 / 08–09	3962 30.11.05	स्वामी विवेकानंद स्टोर गया	कांटी	164.00	—
5	36 / 08–09	3964 1.12.05	स्वामी विवेकानंद स्टोर गया	चपड़ा	406.00	—
					9771.00	

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उक्त व्यय के औचित्य की जाँच की ओर आकृष्ट किया जाता है। जाँच प्रतिफल के आधार पर यथोचित कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तत्काल उक्त व्यय की राशि को आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

<u>कंड़िका (08) कुल रू0 719=00 का व्यय आपत्तिअंतर्गत :–</u>

आकस्मिकता व्यय के जाँच क्रम में पाया गया कि गाड़ी सं0 टी. आर. 322 के उपर मरम्मति के नाम पर कुल रू0 719=00 व्यय किया गया था। व्यय से सम्बन्धित इतिहास पुस्तिका अंकेक्षण के सक्षम उपस्थापित नही किया गया । व्यय के समर्थन में अभियाचना एवं

सक्षम पदाधिकारी का आदेश भी नही दिखाया गया। इससे व्यय किए गए राशि के औचित्य की जाँच नही की जा सकी। विवरणी निम्नवत थी।

अभिश्रव सं0 / तिथि(क्रय)	फर्म का नाम	माम्मति का मद	राशि	विपत्र सं0 / वर्ष	भुगतान तिथि
4039 16.07.06	सिन्हा मोटर्स गया	वाइपर ब्लेड–2 पीस	140.00	07 / 07–08	10.7.07
4045 3.08.06	भारत मोटर्स गया	अस्पष्ट	125.00	07 / 07–08	10.7.07
4046 3.08.06	मीर मोटर्स गया	सी. आर. बी.	140.00	07 / 07–08	10.7.07
4047 3.08.06	मीर मोटर्स गया	सी. आर. बी.	140.00	07 / 07–08	10.7.07
4056 13.08.06	कुमार ऑटो मोबाइल गया	फैनबेल्ट आर0 सी0 लीवर	174.00	36 / 08–09	27.3.09
			719.00		

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उक्त व्यय के औचित्य की जाँच की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया गया वस्तुतः गाड़ी मरम्मति पर उक्त राशि का व्यय हुआ था। अन्यथा की स्थिति में जिम्मेवार व्यक्ति से उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय। तत्काल इतिहास पुस्तिका का संधारण प्रारभ्भ कर उसमे हरेक मरम्मति की प्रविष्टि की जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तत्काल कुल राशि के व्यय 719.00 को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

कंड़िका (09) कुल रू0 11248=00 का सामान भंडार –पुस्त में प्रविष्ट नही किया जाना आपत्तिअंतर्गत :–

वित्तीय वर्ष 07–08 से 08–09 के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एवं अभिश्रवों के माध्यम से विभिन्न तिथियों को विभिन्न फर्मो के द्वारा सामानों की

आपूर्त्ति जिला भू – अर्जन पदाधिकारी के नाम से की गई थी, लेकिन उक्त सामानों की प्रविष्टि भंडार –पुस्त में नही पाई गई। यहाँ तक कि प्रमाणक पर भंडार–पुस्त में प्रविष्टि का भी कोई जिक्र नही पाया गया। इसकी विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ओ'' पर अंकित है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए कहना है यह सुनिश्चित किया जाय कि वास्तव में परिशिष्ट पर अंकित सामग्री का उपयोग कार्यालय कार्य हेतु हुआ था। बाते विपरीत पाए जाने पर जिम्मेवार व्यक्ति से राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तत्काल उक्त राशि रू0 11248=00 को आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

<u>कंड़िका (10) समाचार पत्रों के क्रय पर व्यय की गई राशि 3346=00 वसूली योग्य :–</u>

आकस्मिकता से संबंधित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 07–08 से 08–09 के बीच समाचार पत्रों को क्रय पर कुल रू0 3346=00 व्यय किया गया था। अंकेक्षण की पृच्छा पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी का आदेश खोजबीन कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जायेगी। समाचार पत्रों के क्रय की विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''औ'' पर द्रष्टव्य है।

आकस्मिकता मद के आवंटन से भू–अर्जन कार्यालय के लिए समाचार पत्र के क्रय का प्रावधान नही हैं। अतएव जिम्मेवार व्यक्ति से रूपए 3346=00 की वसूली कर कोषागार में जमा किया जाय तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

<u>कंड़िाक (11) रू0 2,53,518.69 के असामंजित अभिश्रवों के सामंजन के सम्बन्ध में :–</u>

सामान्य रोकड़ पंजी, असामंजित अभिश्रव पंजी एवं अभिश्रव रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि दि0 20.03.10 को रोकड़ पंजी में कुल रू0 2,53,518=69 का असांमजित अभिश्रव सामंजन हेतु लम्बित था, जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है।

उल्लेखनीय है कि विचलन कर व्यय करना घोर वित्तीय अनियमितता है। जाँच में पता चला कि कार्यालय व्यय मद् में प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय से अंकेक्षित अवधि के पूर्व से ही योजना मद् की शेष राशि को विचलन कर किया जा रहा था।

अतः प्रभारी पदाधिकारी का ध्यान उक्त असामंजित अभिश्रवों को सामंजित करने हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। एवं भविष्य में बिना आवंटन के व्यय विचलन द्वारा करने की प्रवृति पर रोक लगाई जाय। इस संदर्भ में कृत कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित भी किया जाय।

<u>कंड़िका (12) कुल रू0 1364=00 अस्थायी अग्रिम असमायोजित ,समायोजन करने योग्य :–</u>

सामान्य अग्रिम पंजी अग्रिम पंजी एवं रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षित अवधि वर्ष 07–08 से 08–09 के अंतर्गत कुल रू0 1450=00 कतिपय कर्मचारियों का अस्थाई अग्रिम का भुगतान किया गया था, जिसके विरूद्ध उक्त अवधि में रू0 86=00 का समायोजन किया हुआ पाया गया। शेष 1450=00 (–) 86=00=1364=00 दिनांक 31.03.09 तक समायोजन हेतु लम्बित पाई गई जिसका विवरण निम्नवत हैं।

1 श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	विधि कार्य	864=00
प्रारूपक	हेतु	8.01.07 से
2. श्री जितेन्द्र शर्मा	विधि कार्य हेतु	500.00
सहायक जिला		
विधि शाखा गया		<u>19.01.00</u>
		1364=00

अंकेक्षण अवधि के पूर्व की अग्रिम समायोजन हेतु लबिंत नही था।

अतः रू0 1364=00 असमायोजित अग्रिम की राशि के समायोजन की दिशा में शीध्र कार्रवाई किया जाय। तत्पश्चात् इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

<u>भाग –2</u>

<u>कंड़िका (13) रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया जाना आपत्तिजनक :–</u>

बिहार कोषागार संहिता खंड –1 के नियम 86(iv) एवं 305 –ए0 में स्पष्ट प्रावधान है कि माह के अंत में रोकड़ का भौतिक सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाए एवं एतद् संबंधी प्रमाण–पत्र अंकित किया जाए। वित्त विभाग के ज्ञापांक टी0 –2–101/78/1946 एफ0 दि0 14.2.1979 में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि प्रत्येक विकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक महीने के 15 एवं 30 तारीख को नकद राशि की जाँच करेगे तथा रोकड़ पंजी पर प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि ''राज कोष से निकासी की गई

कोई भी राशि अनावश्यक रूप से नही रखी गई है। '' यह प्रमाण–पत्र नियमित रूप से अंकित करने के लिए लेखापाल, रोकड़ पाल एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।

परन्तु जाँच क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अंकेक्षित अवधि, एवं अंकेक्षित अवधि के पूर्व से ही एवं अंकेक्षण समापन तिथि तक कभी भी उपर्युक्त नियमों एवं निदेशों का पालन नही किया गया था। जो कि वित्तीय नियमों एवं सरकारी निदेशों की धोर अवेहलना हैं।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में उपर्युक्त वित्तयी नियमों एवं निदेशो का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

<u>कंड़िका (14) भंडार पुस्त का भौतिक सत्यापन नही किया जाना।</u>

अभिश्रवों के जाँच क्रम में भंडार पुस्त के जाँच में पाया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन नही किया हुआ पाया गया जो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 132 के प्रतिकूल हैं। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को माह के अंत में कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन अवश्य करना चाहिए और उक्त आशय का प्रमाण–पत्र भंडार पुस्त में अंकित करना चाहिए।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में उपर्युक्त वित्तीय नियमों एवं कोषागार नियमावली का पालन किया जाए।

<u>कंड़िका (15) रोकड़ के प्रभार लेन–देन में मात्र औपचारिकता निभाया जाना आपत्तिजनक :–</u>

रोकड़ पंजी के जाँच में पाया गया कि रोकड़ पाल एवं पदाधिकारी के प्रभार में बैंक में जमा राशि के आधार पर प्रभार का लेन–देन नही किया गया था। बल्कि रोकड़ के संवरण शेष एवं अधूरे बैंक पंजी संधारित के आधार पर प्रभार का लेन–देन किया गया था।

उदाहरणस्वरूप दिनांक 28.2.09 एवं 23.3.09 को प्रभार के लेन–देन में सभी बैंको में अद्यत्न जमा राशि का उल्लेख नही किया गया था। साथ ही असमायोजित अभिश्रव की वास्तविक राशि से अधिक राशि दिखाया गया था। विवरण निम्नवत् है।

1. दिनांक 28.2.09 एवं 30.3.09 को एस0 बी0 आई0 बाजार ब्रांच , गया के खाता सं0 – 30566512241 में जमा राशि 44,764=00 था जिसका प्रभार में कही भी उल्लेख नही पाया गया।

2. दिनांक 28.2.09 एवं 30.3.09 को असमायोजित अभिश्रव की कुल वास्तविक राशि 2,82,832.37 के स्थान पर 3,15,817.72 दिखाया गया था।

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभार का लेन–देन में मात्र औचारिकता निभाई गयी थी। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस अनियमितता की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2)

परिशिष्ट "अ" कंड़िका I "ट" से सम्बन्धित

(अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंड़िका I "ट" से संबंधित)

जिला भू–अर्जन कार्यालय ,गया के वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 08–09 का प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची।

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी
2. सहायक रोकड़ पंजी (स्थापना)
3. सहायक रोकड़ पंजी (योजना)

4. सामान्य रोकड़ पंजी
5. नाजीर रसीद
6. वेतन भुगतान पंजी
7. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
8. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति
9. आकस्मिकता पंजी
10. अभिश्रवों की राक्षि संचिका
11. आवंटन –व्यय पंजी
12. मुआवजा से संबंधित भुगतान अभिश्रव एवं अभिलेख
13. सभी बैको से संबंधित चेक पंजी
14. सभी बैको का (दि0 1.4.07 से 31.3.10 तक) बैक विवरणी
15. महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 – 430/08–09
16. रेमिटेन्स रजिस्टर एवं चालान की प्रति
17. स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारियों की सूची
18. सेवा पुस्त (आंशिक)
19. गाड़ी का लॉग बुक
20. भंडार –पुस्त

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. गाड़ी का इतिहास पुस्तिका
2. उच्च पदाधिकारी का निरीक्षण पंजी
3. सेवा पुस्त (आंशिक)